

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscui.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

दिस्पेच दिनांक प्रतिमाह 1 व 16

● वर्ष 62 ● अंक 22 ● भोपाल ● 16-30 अप्रैल, 2019 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

लोकसभा निर्वाचन 2019 में तीन और स्टेट आईकॉन नामांकित

17, अरेरा हिल्स, भोपाल



भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान प्रदेश के लिये तीन और ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को स्टेट आईकॉन के लिये नामांकित किया है। इसमें श्री गोविन्द नामदेव, सिने एवं टी.व्ही. कलाकार, बॉलीवुड गायिका सुश्री पलक मुछाल एवं सुश्री देशना जैन, मिस एशिया पेसिफिक

(डैफ) है।

श्री गोविन्द नामदेव ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एकिटिंग कोर्स पूर्ण करने के बाद 1978 से विदेशी प्रसिद्ध प्रोडक्शन कम्पनियों में नाटक एवं ड्रामा में मुख्य भूमिकाओं के साथ टी.व्ही. के प्रसिद्ध धारावाहिकों, प्रसिद्ध फिल्मों में कार्य किया। प्रमुख रूप से बैंडिट कवीन, प्रेम ग्रंथ,

सरफरोश, वाणटेड, ओह माय गॉड में उनके अभिनय के लिये उन्हें कई अवॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं। श्री नामदेव सागर जिले के निवासी हैं।

सुश्री पलक मुछाल बॉलीवुड की गायक कलाकार हैं। इनके द्वारा सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। इनका नाम सामाजिक कार्यों

के लिये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड एवं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा 61वें एवं 62वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिये भी नॉमिनेट किया गया। सुश्री पलक मुछाल इंदौर जिले की निवासी है।

सुश्री देशना जैन वर्ष 2018 में मिस इंडिया पेसिफिक (डैफ) रही हैं वे मिस एशिया (डैफ) की विजेता तथा मिस इंटरनेशनल (डैफ) में थर्ड रनर-अप रही हैं। सुश्री जैन टीकमगढ़ जिले की निवासी हैं।

तीनों नवनियुक्त स्टेट आईकॉन मध्यप्रदेश में लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदाता जागरूकता एवं ई.व्ही.एम., व्ही.व्ही.पैट. का प्रचार-प्रसार करेंगे।

सवा करोड़ परिवारों को वितरित की जायेगी मतदाता मार्गदर्शिका



भोपाल। लोकसभा निर्वाचन-2019 में प्रदेश के प्रत्येक परिवार के मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाइड) तैयार की गई है, जो निर्वाचन से पूर्व मध्यप्रदेश के लगभग एक करोड़ 25 लाख परिवारों को घर-घर जाकर बीएलओ (बूल लेवल ऑफिसर) के माध्यम से वितरित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाइड) का विमोचन किया।

यह वोटर गाइड प्रदेश में होने वाले चार चरण के निर्वाचन को देखते हुए चार पृथक-पृथक रंगों में प्रकाशित की गई है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) की दृष्टि से मतदाताओं को जागरूक करने और निर्वाचन प्रक्रिया से भलीभूति अवगत कराने के लिये घृतदाता मार्गदर्शिकाएँ का वितरण किया जाएगा।

मतदाता मार्गदर्शिका के माध्यम से मतदाताओं को विभिन्न जानकारियां प्राप्त होगी। इसमें मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन करने संबंधी, मतदान दिवस एवं समय, मतदान की प्रक्रिया, ई.व्ही.एम. और व्ही.व्ही.पैट के माध्यम से वोट देने की जानकारी, मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएँ, मतदान केन्द्रों पर पहचान के लिये प्रयोग किये जाने वाले दस्तावेजों एवं मतदाता को जानकारी लेने के लिये उपलब्ध व्यवस्थाएँ-वेबसाइट, टोल फ्री नम्बर इत्यादि की जानकारियां सम्मिलित हैं।

सोशल मीडिया में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों पर कार्यवाही होगी

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान निर्वाचन संबंधी कानूनों तथा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों पर निगरानी के लिये विशेष निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

आदर्श आचरण संहिता का पालन सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे यू-ट्यूब, फेसबुक एवं ट्वीटर पर भी किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज, गलत अथवा झूठा समाचार एवं सूचनाएँ, घृणास्पद भाषण के माध्यम से आचरण संहिता का उल्लंघन संबंधी मामलों पर निगरानी के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी केंटेन्ट के संबंध में यदि आचरण संहिता के उल्लंघन कोई मामला प्रकाश में आता है, तो संबंधित जिला निर्वाचन

अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के कार्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी को यह जानकारी प्रेषित करेंगे। मामले की पुष्टि होने के पश्चात उसे भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जहाँ

नियुक्त नोडल अधिकारी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रमुख से उक्त कन्टेन्ट की पुष्टि करायेंगे। मामला सही पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

चुनाव संबंधी 6 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव ने बताया कि एक जनवरी से सात अप्रैल तक 6 हजार 290 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 6 हजार 520 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

श्री राव ने बताया कि जन-सामान्य से 483 शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुईं, जिसमें से 451 शिकायतों का निराकरण किया गया। जिला स्तरीय कान्टेक्ट सेंटर में 3 हजार 309 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 3 हजार 52 शिकायतों का निराकरण किया गया।

भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय कान्टेक्ट सेंटर के माध्यम से 441 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 400 शिकायतों का निराकरण किया गया। राज्य स्तरीय कान्टेक्ट सेंटर के माध्यम से एक हजार 589 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से एक हजार 331 शिकायतों का निराकरण किया गया। सीधे प्राप्त हुई 896 शिकायतों में से 832 का निराकरण किया गया। राजनैतिक दलों से 572 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 454 का निराकरण किया जा चुका है।

सहकारिता : जानने योग्य बातें

सहकारी समिति से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में नीतियों का निर्माण समिति की आमसभा में किया जाता है। आमसभा वर्ष में एक बार होती है एवं इसमें समिति का प्रत्येक सदस्य भाग लेता है। आमसभा में निर्णीत विषयों पर कार्यवाही किए जाने के लिए रणनीति बनाने का कार्य संचालक मंडल या प्रबंध कारिणी समिति का होता है। अंत में समिति के कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। समिति के सदस्य व्यक्तिगत तौर पर या कभी भी संचालक मंडल को निर्देश नहीं दे सकते हैं परंतु प्रबंध कारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव सभी सदस्य मिल कर करते हैं इसलिए सभी सदस्य उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में भागीदार हैं। संचालक मंडल द्वारा निर्धारित समयावधि में बैठकें कर सभी कार्यों पर निर्णय लिया जाता है। संस्था की सफलता में इन बैठकों का महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रत्येक सहकारी समिति में तीन अंग होते हैं:- 1 सदस्य, 2 संचालक मंडल या प्रबंध कारिणी समिति एवं 3 कर्मचारी। सहकारी समिति से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में नीतियों का निर्माण समिति की आमसभा में किया जाता है। आमसभा वर्ष में एक बार होती है एवं इसमें समिति का प्रत्येक सदस्य भाग लेता है। आमसभा में निर्णीत विषयों पर कार्यवाही किए जाने के लिए रणनीति बनाने का कार्य संचालक मंडल या प्रबंध कारिणी समिति का होता है। अंत में समिति के कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। समिति के सदस्य व्यक्तिगत तौर पर या कभी भी संचालक मंडल को निर्देश नहीं दे सकते हैं परंतु प्रबंध कारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव सभी सदस्य मिल कर करते हैं इसलिए सभी सदस्य उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में भागीदार हैं। संचालक मंडल द्वारा निर्धारित समयावधि में बैठकें कर सभी कार्यों पर निर्णय लिया जाता है। संस्था की सफलता में इन बैठकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में एक मत देने का अधिकार होगा। (धारा-22)

(परा-22)
संस्था की पुस्तकें देखने
संबंधी सदस्यों का अधिकार
(धारा-28)

प्रत्येक सहकारी समिति का यह वैधानिक कर्तव्य है कि, वह अपने पंजीकृत पते पर सभी उचित समयों पर अपने सदस्यों के निरीक्षण के लिए सहकारी अधिनियम की प्रति, नियमों की प्रति, सहकारी समिति की उपविधियों की प्रति, सदस्यों का रजिस्टर, अंकेक्षित स्थिति विवरण, लाभ-हानि पत्रक सहित साधारण सम्मेलनों की कार्यवाही निःशुल्क सदस्यों को देखने की द्यावस्था करेगी।

पूर्वस्था परंगा।
पूर्वान्ध कारिणी कमेटी

धारा 48(1) के उपबन्धों में सहकारी समिति के साधारण निकाय एवं उसके द्वारा गठित संचालक मण्डल के अधिकार क्षेत्र की सीमा रेखा को बहुत ही स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।

मुख्य प्रशासकीय पदाधिकारी होता है जो संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संस्था का कार्य संचालन करता है। अध्यक्ष की अनुपरिस्थिति में उक्त कृत्य का निर्वहन संचालक मण्डल के निर्णय पर



उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
संचालक मंडल के अधिकार
और कर्तव्य –

1. सदर्शयता स्वीकृत एवं समाप्त

- करना।

2. सभापति एवं अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना।

3. सभापति और पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और उन्हें पद से हटाने के बारे में निर्णय लेना। परन्तु उपर्युक्त प्रयोजन के लिए होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

4. संचालकों द्वारा दिये गये त्याग पत्रों पर निर्णय लेना।

5. रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की संख्या नियत करना।

6. निम्नलिखित के संबंध में नीतियां बनाना—

क. सदस्यों को सेवायें देने के लिये संगठन एवं उपबंध करना।

ख. रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्तें और कर्मचारी वृन्द से संबंधित अन्य विषय।

ग. निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग।

घ. लेखाओं के रखे जाने की रीति।

ड. निधियों का संचालन उपयोग एवं विनिधान।

च. फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियां के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और

प्रबंध।

7. साधारण निकाय के अनुमोदन्न हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, योजना एवं बजट प्रस्तुत करना।
8. संपरीक्षा तथा अनुपालन्दौ

रिपोर्ट पर विचार करना और
उन्हें साधारण निकाय के
समक्ष प्रस्तुत करना।

9. उक्त प्रमुख कर्तव्यों के साथ
वे सभी कार्य करना जो संस्था
के संचालन, उसकी प्रगति के
लिए आवश्यक हो।

कार्यवृत्त पुस्तिका (Minutes Book)

कार्यवृत्त पुस्तिका समिति के बोर्ड/प्रबंधन एवं अन्य कमेटियों द्वारा विचार किये गये विषयों और लिये गये निर्णयों का एक महत्वपूर्ण रिकार्ड होती है। पुस्तिका में पारित प्रस्तावों का सही रिकार्ड होना चाहिए और इसके रिकार्ड पर बोर्ड/कमेटी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। यह इस बात की साक्षी होती है कि निर्णय सही स्तर पर लिये गये है तथा इसके लिए बोर्ड एवं प्रबंधन के कार्य निष्पादन को मॉनीटर (Monitor) किया जा सकता है। कतिपय विशेष परिस्थितियों में बोर्ड/कमेटी के महत्वपूर्ण विचार और निर्णय समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। बैठक में

भाग लेने वाले सदस्यों के नाम व
पदनाम अवश्य रिकार्ड किये जाने-
चाहिए तथा उनके हस्ताक्षर भी
लेने चाहिए। आम सभा के लिए
अलग से उपस्थिति रजिस्टर तथा
कार्यवृत्त पुस्तिका रखी जानी
चाहिए। रिकार्ड किये गये प्रस्ताव
के प्रत्येक पृष्ठ पर सभापति/
अध्यक्ष के हस्ताक्षर लिये जाने-
चाहिए। आम सभा की बैठक के
लिए अलग से पुस्तिका रखी
जानी चाहिए।

जाना पाहूँ।
संस्था संधारित प्रमुख
अभिलेख संस्थाओं में संधारित
किये जाने वाले मुख्य अभिलेख
निम्नानसार हैं:-

- (1) सदस्यता पंजी, (2) कार्यवाही पंजी, (3) रोकड़ पुस्तक, (4) डे-बुक, (5) जनरल लेजर, (6) सदस्य व्यवितागत खाता, (7) स्टॉक रजिस्टर, (8) बिक्री रजिस्टर, (9) डेड स्टॉक रजिस्टर, (10) बैंक अभिलेख

(पासबुक), (11) अंशपूँजी पंजी,
 (12) सदस्य पास बुक आदि।
 संचालक मंडल को सतत रूप
 से उपरोक्त वर्णित अभिलेखों का
 निरीक्षण / सत्यापन करना
 चाहिये।

वार्षिक साधारण सम्मिलन

किसी भी सहकारी संस्था का अंतिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होता है। प्रत्येक सोसायटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर साधारण निकाय का वार्षिक सम्मिलन निम्नलिखित प्रयोजन के लिए बुलाएगी—

- (1) संस्था के क्रियाकलापों का, जो कि संचालक मंडल द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार किया गया हो, अनुमोदन करने के लिये,
 - (2) संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कराया जाना अपेक्षित हो गया है,
स्पष्टीकरण— संचालक मंडल का निर्वाचन अपेक्षित समझा जाएगा यदि संचालक मंडल की अवधि समाप्त हो गई हो,
 - (3) संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि प्राप्त हुई हो तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिये
 - (4) शुद्ध लाभ के व्ययन के लिये, आधिक्य आय से निधि सृजन करना।
 - (5) ऐसे अन्य किसी विषय पर, विचार करने के लिये जो कि अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुसार आम सभा के लिये निर्धारित हो।
 - (6) आगामी सहकारी वर्ष के लिये बजट प्रस्तुत करने के लिये,
 - (7) वित्तीय वर्ष के कार्य संचालन के कारण हुए घाटे के कारणों का परीक्षण करना, और
 - (8) लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिये संपरीक्षक की नियुक्ति करना।

वार्षिक साधारण सम्मिलन बलाने की प्रक्रिया

आम सभा बुलाने का दायित्व प्रबंधक या उपविधि के अनुसार नियुक्त अधिकारी का है। सूचना में विस्तृत जानकारी होना चाहिए —

दिनांक, समय, स्थान एवं सभा
में किए जाने वाले कार्यों का
तिवरण। (सॉल पार्ट 6 पा)

डिजिटल बैंकिंग : सुविधा तथा सावधानियाँ

• श्रीमती पी.वी. गेदाम

आज की रफ्तार भरी जिंदगी में जब सीमित समय में ही हमें सब काम निबटाने होते हैं, तो ऐसे में प्रत्येक मिनट का महत्व होता है। बैंक में जाना पड़े तो आधा दिन चुटकियों में इसी भागदौड़ी के बीच बैंक में निकल जाता है। ऐसे में डिजिटल बैंकिंग ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप मिनटों में पैसों का लेनदेन, लोन के लिए आवेदन व अन्य बैंक संबंधित कई काम निबटा सकते हैं और तो और यह सब करते वक्त ना ही समय बरबाद होता हैं और न ही आपको इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।

क्या हैं डिजिटल बैंकिंग?

डिजिटल बैंकिंग का मतलब है तकनीक की मदद से बैंकों को ग्राहकों तक पहुँचाना। खाता खुलवाने से लेन-देन तक करने में तकनीक का इस्तेमाल डिजिटल बैंकिंग कहलाता है। इसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम आदि शामिल है। सरल शब्दों में कहे तो डिजिटल बैंकिंग का अर्थ तकनीक की मदद से आप का बैंक हमेशा आपके साथ रहता है। कम या न के बराबर और कभी भी उसकी सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। बैंक की शाखाओं पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को कर्मचारी संसाधनों पर काफी खर्च करना पड़ता है। हालांकि जब आप लेने-देन के लिए डिजिटल बैंकिंग का सहारा लेते हैं तो लागत बहुत ही कम या फिर ना के बराबर हो जाती है। ज्यादा ब्याज और सस्ता कर्ज डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से यदि ग्राहक कोई निवेश योजना लेते हैं, तो बैंक अक्सर उस पर ज्यादा ब्याज उपलब्ध कराते हैं। इसका कारण यह है कि डिजिटल बैंकिंग बैंकों की लागत को कम कर देती है जिसका फायदा वे ग्राहकों को दे देते हैं। उसी प्रकार ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन करने पर बैंक ग्राहकों को समय की बचत, बैलेंस चेक करना हो, सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराना हो, पैसे भेजने हो, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ावानी हो, बिल का भुगतान करना हो, लोन के लिए आवेदन या फिर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न निवेश योजनाओं के बारे में कोई सूचना हासिल करनी हो, डिजिटल बैंकिंग की मदद से आप यह सब काम सेकड़ों में घर बैठे ही कर सकते हैं। जबकि इसी काम के लिए यदि आप को बैंक जाना पड़े तो समय काफी बरबाद होता है। आपको बैंकों के कई चक्रकर लगाने पड़ते हैं। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईआईसीआई बैंक की एक वरिष्ठ अधिकारी कहती है (डिजिटल चैनल), 'ग्राहक डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को तेजी से अपना ही नहीं रहे हैं बल्कि हमें यह भी बता रहे हैं

कैसे सुधारा जाए।'

ऐक्सिस बैंक के सीआईओ अमित सेठी कहते हैं, डिजिटल बैंकिंग का प्रचलन बढ़ रहा है क्योंकि ग्राहक त्वरित सेवा एवं सूचना चाहते हैं। वे अब शाखा में जाना या सेवा को चालू कराने के लिए इंतजार करना पंसद नहीं करते हैं।

डिजिटल बैंकिंग के विकल्प

1. '99 रु. भुगतान विकल्प :- '99 रु. एक आसान मोबाइल बैंकिंग सुविधा है, जो सभी तरह के मोबाइल फोन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। (यह सुविधा CDMI मोबाइल पर उपलब्ध नहीं है।) यह सुविधा इस्तेमाल करने के लिए अपने बैंक में मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। ग्राहक अपने नजदीकी बैंक ब्रांच, एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप में जाकर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। ग्राहक अपने नजदीकी बैंक ब्रांच, एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप में जाकर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन की सेवा प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
2. कार्डस् पीओएस :- डिजिटल भुगतान करने के लिए आप ज्यादातर जगहों पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट्स कर सकते हैं। अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को POS मशीन में स्वाइप करिए, उसमें पासवर्ड डालिए तथा रसीद प्राप्त करें। इस प्रकार कार्ड के जरिए आसानी से भुगतान किया जा सकता है।
3. ई-वॉलेट :- ई-वॉलेट का मतलब है, ई-बटुवा जिसमें पैसे का लेन-देन मुक्किन है। ऐसे कई ई-वॉलेट उपलब्ध हैं। मोबाइल में ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड कर मोबाइल नंबर डालके रजिस्ट्रेशन करिए। अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग को इससे जोड़िए और इस प्रकार आपका फोन आपका बटुआ बन जाएगा।
4. आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम :- अपने आधार कार्ड के द्वारा पेमेंट करना, अर्थात अधार कार्ड को बैंक अकाउन्ट के साथ लिंक करके आधार कार्ड द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। इस सुविधा के द्वारा आपको एमएमआईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग कर किसी भी बैंक के मोबाइल बैंकिंग पर



पूछताछ, कैश जमा करना या निकालना, इंटर बैंक ट्रान्जेक्शन आदि कर सकते हैं। शॉपिंग के दौरान दुकानों में भी इस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

5. यूपीआई - यूपीआई का पूर्ण रूप है यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस। किसी भी यूपीआई सेवा प्रदान करने वाले बैंक में जरूरी केवाईसी द्वारा अपना खाता खुलवा लें। इससे बैंक द्वारा प्रदान मोबाइल बैंकिंग की सभी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अपने मोबाइल में यूपीआई ऐप डाउनलोड कर इस सुविधा को प्राप्त किया जा सकता है। आप अपनी यूपीआई आई.डी. (VPA) के साथ एक से ज्यादा खाते भी जोड़ सकते हैं।
6. आई एम पी एस :- तत्काल भुगतान सेवा या आई.एम.पी.एस. यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली सेवा है जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है। मोबाइल फोन द्वारा छोटी-बड़ी राशि का भुगतान करने हेतु इस सुविधा का उपयोग किया जाता है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए..... अपने बैंक की बैंकिंग ऐप मोबाइल फोन में डाउनलोड करके मोबाइल बैंकिंग एक्टिव करें।
7. आई एम पी एस :- तत्काल भुगतान सेवा या आई.एम.पी.एस. यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली सेवा है जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है। मोबाइल फोन द्वारा छोटी-बड़ी राशि का भुगतान करने हेतु इस सुविधा का उपयोग किया जाता है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए..... अपने बैंक की बैंकिंग ऐप मोबाइल फोन में डाउनलोड करके मोबाइल बैंकिंग एक्टिव करें।

आपके बैंक की शाखा से पिन और पासवर्ड प्राप्त कर एमएमआईडी तैयार करना है। किसी दृष्टिकोण का एमएमआईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग कर किसी भी बैंक के मोबाइल बैंकिंग पर

पैसे भेज सकते हैं।

अन्य व्यक्ति के पास मोबाइल बैंकिंग न होते हुए भी उसके खाते में खाता नंबर और आईएफसी कोड की सहायता से एनईएफटी द्वारा राशि भेजी जा सकती है।

8. ब्लॉकचेन :- भविष्य की बैंकिंग में अगली बड़ी लहर तकनीक का इस्तेमाल होगी, जिसे ब्लॉकचेन कहा गया है। यह लेन देन को संभव बनाने का सर्ता और ज्यादा सुरक्षित तरीका है। बिटकॉइन द्वारा लोकप्रिय बनाई गई ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है, जो रिकार्ड रखती है। यह हमारे बैंकिंग के वर्तमान तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। भविष्य में आपको मोबाइल सेवा की तरह बैंक खाता पोर्टफिली की भी सुविधा मिल सकती है।

क्या हैं डिजिटल पेमेंट

डिजिटल यानी आपके मोबाइल या कम्प्यूटर में ही बैंकिंग से लेकर भुगतान तक की सुविधा यानी आप आने मोबाइल के जरिए ही सब्जी, दूध से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत का समान खरीद सकते हैं।

1. वॉलेट कंपनी पेटीएम को सबसे ज्यादा फायदा अभी डिजिटल भुगतान, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट के जरिए हो रहा है। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट के जरिए हो रहा है। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये वॉलेट बहेतर सुविधा देते हैं, इसलिए ग्राहकों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पेटीएम से रोज 120 करोड़ रुपये का लेनदेन हो रहा है। पेटीएम यूजर्स की संख्या 15 करोड़ तक पहुँच चुकी है। चाय, गोलगपे जैसे 10 लाख छोटे-बड़े दुकानदार भी पेटीएम से खुशी-खुशी पेमेंट ले रहे हैं।
2. इसके बाद वित्तीय प्रौद्योगिकी

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सोयाबीन उत्पादन : कुछ सुझाव

वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के कार्यों के फलस्वरूप सोयाबीन किसानों का लोकप्रिय व महत्वपूर्ण फसल हो गई है। संपूर्ण देश का 80 सोयाबीन रकवा मध्यप्रदेश में है। इस कारण इस प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश की संज्ञा दी जाती है।

उपयोगिता व लाभ

1. खरीफ की अन्य दलहनी व तिलहनी फसलों की अपेक्षा भूमि संरक्षण की प्रतिकूलता से कम प्रभावित होती है।

2. अन्य खरीफ फसलों की अपेक्षा उपज क्षमता अधिक।

3. इसमें 20 प्रतिशत तेल होता है। जिसमें खाद्य तेल की पूर्ति में काफी योगदान मिल रहा है।

4. इसमें 40 प्रतिशत उच्च कोटी का सस्ता पोटीन पाया जाता है। व इसमें तैयार खाद्य पदार्थों से देश वासियों की प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकेंगा।

5. इसकी खेती जानवरों व मुर्गियों के लिए अच्छा आहार है।

(पृष्ठ 3 का शेष)

6. इसका उपयोग एनटी-वायटीक (रोग निरोग) दवाओं में भी किया जाता है।

7. यह फसल भूमि संरक्षण का कार्य भी करती है।

8. दलहनी फसल होने से भूमि की उर्वरक की शक्ति बढ़ती है।

9. खेत में खरपतवार को पनपने नहीं देती।

10. इसमें कृषि का आर्थिक ढांचा मजबूत व प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिली है।

भूमि

यह सभी प्रकार की भूमि में "बहुत ही रेतीली भूमि को छोड़कर" पैदा की जा सकती है काली चिकनी दो मटियों, रेतीली भूमि जिसमें पानी का जमाव न होता हों इसके लिए विशेष उपयुक्त है।

भूमि की तैयारी

इस फसल के लिए अन्य खरीफ फसलों के समान ही दो तीन चार जुताई करना चाहिए। जिसमें खेत की निंदाई खत्म हो जावे और जमीन अच्छी तरह

तैयार हो जावें।

बीज की मात्रा

1. बड़े दाने वाली सोयाबीन

100 किलो प्रति हेक्टर।

2. मध्यम दाने वाली सोयाबीन

75 किलो प्रति हेक्टर।

3. छोटे दाने वाली पीली सोयाबीन 40 से 50 किलो प्रति हेक्टर।

बुवाई

सोयाबीन की बुवाई वर्षा के प्रारंभ होते ही "जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई प्रथम सप्ताह तक करना चाहिये। देरी से बोनी होने से उपज घटती है। बीज से बीज की दूरी 5 से.मी.से 7 से.मी. रखना चाहिये। या यहाँ से उपज घटती है। बीज से बीज की दूरी 5 से.मी.से 7 से.मी. रखना चाहिये।

बीजोपचार :

बीज सड़न व पौधे सड़न बीमारी से रोकथाम हेतु फसल बुवाई से पूर्व धीरज व केप्टन (फॉर्फूड नाशक दवा) बराबर मात्रा के मिश्रण को 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाना चाहिये। अधिक पैदावार लेने के लिये व जहां सोयाबीन की फसल पहली वार लैं। वहां कल्वर से बीज

का उपचार अवश्य करना चाहिये।

इस हेतु बोनी के पूर्व राईजो पिपम कल्वरी से 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करना चाहिये। कल्वर मिले हुए बीज को घूप से बचाने व उसकी बुवाई शीघ्र करें। व कल्वर व बीज को रासायनिक खाद मिलाकर बोनी न करें।

रासायनिक खाद

2 या 3 वर्ष में एक बार 25 से 30 गाड़ी गौबर की, खाद या अन्य प्रति हेक्टर देना चाहिये। यदि भूमि में इस स्फुर कम है। या मिट्टी परीक्षण नहीं हुआ है, तो 80 किलों स्फुर प्रति हेक्टर देना चाहिये। यदि स्फुर की मात्रा अधिक है तो सिर्फ 46 किलों स्फुर प्रति हेक्टर पीली सोयाबीन के लिये 20 किलों नन्त्रजन 30 किलों स्फुर व 20 किलों पोटाश (तत्त्व रूप में) प्रति हेक्टर डालना चाहिये व काली सोयाबीन के लिए 10: 40: 20 किलों प्रति हेक्टर के हिसाब से डालकर बुवाई के पूर्व वर्ष रखनी करके मिट्टी में मिलना चाहिये।

निंदाई गुड़ाई कार्य

बुवाई के 15 दिन बाद पहली निंदाई गुड़ाई डोरा या खुरपी द्वारा करना चाहिये। इसके बाद आवश्यकतानुसार एक दो वार निंदाई गुड़ाई करें। जिससे खेत बोनी के बाद 40-50 दिन तक निंदाई रहीत रहें। कीटनाश दवा द्वारा भी कीट रोकथाम की जा सकती है। इस हेतु वास्तीन (50 प्रतिशत) 2 लिटर दवा का प्रति हेक्टर छिड़काव देकर जमीन में हल चलाकर मिला देना चाहिये।

मिश्रित खेती

सोयाबीन को अरहर, मक्का, ज्वार, कपास के साथ बोने पर दोनों फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

सिंचाई

साधारणता सोयाबीन में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु यदि वर्षा बहुत पहले या सितम्बर के प्रारंभ से बंद हो जाये या फसल रेतीली या हल्की भूमि में हो तो फल्ली में दाना भरने की आस्था में एक बार सिंचाई किया जाना लाभदायक होता है।

मांगते।

डिजिटल बैकिंग के दौरान यदि आप को ऑनलाइन भुगतान करना हो तो साइबर कैफे में जाने के बजाय अपने पर्सनल कम्प्यूटर से भुगतान करें।

यदि

यदि आप मोबाइल बैकिंग कर रहे हैं तो इसके लिए बैंकों के एप्लिकेशन डाउनलोड कर लें, जो काफी सुरक्षित है।

भुगतान

के दौरान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी किसी वैबसाइट पर सेवन करें। बैकिंग करने के बाद एप्लिकेशन का बंद कर उसमें लॉग आउट करना न भूलें।

यदि

यदि आप मोबाइल बैकिंग करते हैं तो इस के लिए बैंकों से संबंधित जानकारी किसी वैबसाइट पर सेवन करें।

अक्सर

लोगों के पास लॉटरी जीतने और विभिन्न ऑफर के ई-मेल आते हैं, जिनमें अकाउंट नंबर व अन्य पासवर्ड जैसी जानकारी मांगी जाती है। ऐसे ई-मेल का कभी जवाब न दें और न ही ऐसे ई-मेल को चेक करें।

कई

हैकर्स और साइबर अपराधी कस्टमर के बारे में कर्मी बन कर ग्राहकों से उनके अकाउंट से संबंधित जानकारी मांगते हैं। ऐसा कोई फोन आने पर आप अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी उपलब्ध न कराएं। बैंक कभी भी आप से इस प्रकार की सूचना खास तौर पर पासवर्ड आदि नहीं

(बैकिंग चितंन अनुचितंन से साभार)

लाख कंपनियों मोबाइक से ट्रांजेक्शन कर रही है। नई खबर यह है कि, देश के चार करोड़ यूजर्स मोबाइक से पेमेंट दे या ले रहे हैं। टोल प्लाजा पर टोल पमेंट मोबाइक से हो रहा है। नोटबंदी के बाद ऐसी कंपनियों का विजनेस 25 फीसदी बढ़ा है। डिजिटल इंडिया बनाने का प्रधानमंत्री का सपना है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। देश में 65 फीसदी मोबाइल यूजर्स के पास स्मार्ट फोन नहीं है। 93 फीसदी ग्रामीण भारत में कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं किया जा रहा है।

देश में एक अरब से अधिक मोबाइल फोन कनेक्शन हैं। एक तिहाई यूजरों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन बड़ा तबका अब भी फीचर फोन ही चलाता है। फीचर फोन पर भी ऐसी सुविधा है जिससे भुगतान एवं पैसा भेजने सहित बहुत से बैकिंग लेन-देन संभव है। यह सेवा टेक्सट मैसेज पर काम करती है। इसका लाभ यह है कि आपको पैसा भेजने या भुगतान करने जैसी बुनियादी बैकिंग सेवा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ती।

सावधानियों
इसमें कोई संदेह नहीं कि डिजिटल बैकिंग ने लोगों की

जिंदगी को आसान बनाया है। मगर इसमें की गई थोड़ी सी भी लापरवाही आप को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। जब आप बैंक की शाखा में जा कर बैकिंग सेवाओं का फायदा उठाते हैं तो आप की सूचना को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी बैंक की होती है। पर जैसे ही आप डिजिटल बैकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जोखिम पर इन सेवाओं का फायदा उठाते हैं। लेनदेन और बैकिंग के कामकाज को आसान बनाने के नए तरीके तलाशे जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पेटीएम जैसी वॉलेट कंपनियों की लोकप्रियता ने बैंकों को भी आगाह कर दिया है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

साइबर कैफे में जाकर आप ऑनलाइन बैकिंग न करें। हैकर्स एकसर वायरस के जरिए ग्राहकों का अकाउंट हैक कर लेते हैं। अपने मोबाइल बैकिंग के पासवर्ड को न तो किसी को बताएं और न ही इसे ऐसी जगह लिख कर रखें जिससे किसी और की

उपलब्ध न कराएं। बैंक कभी भी आप से इस प्रकार की सूच

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्राहक सेवा

डॉ. मनोज कुमार अम्बष्ट

सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान, सूचना और व्यापार के क्षेत्र में समय और भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर क्रांति ला दी है और उसे एक नया आयाम दिया है। ऐसी स्थिति में बैंकों द्वारा ग्राहक को लाभ के रूप में देखना अथवा स्वीकार करना प्रत्येक ग्राहक के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसकी आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुरूप स्वयं को ढालना या तैयार करना विधिन का वित्तीयकरण ही माना जाएगा। इसके साथ ही ग्राहक सेवा प्रदान करने वाले अन्य कारकों की आवश्यकता तथा उन पर होने वाले व्यय बैंक के तुलन पत्र और लाभ तथा हानि खाता को कितना और कैसे प्रभावित करेंगे, यह भी विचारणीय है।

ग्राहक एवं उसकी प्रवृत्ति

सूचना प्रौद्योगिकी के कारण आज का ग्राहक बैंक के उत्पादों तथा सेवाओं से तो संबंध रखता है, पर उसकी या उसके किसी प्रतिनिधि की बैंक शाखा में शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य या मजबूरी नहीं है और वह घर बैठे ही अपनी सुविधानुसार बैंक से अधिकांश कारोबार कर रहा है। आज का ग्राहक अधिक शिक्षित तथा सूचना संपन्न है और मोबाइल तथा इंटरनेट रूपी दो अमोघ हथियार उसके पास हैं। इंटरनेट तो युवा पीढ़ी की धड़कन बन चुकी है और आज का भारत युवाओं का भारत है। आज भारत में 261.31 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता तथा 1,195 मिलियन से अधिक मोबाइल धारक हैं। ज्ञान, सूचना तथा क्रय शक्ति में वृद्धि लोगों को बेहतर जीवन शैली अपनाने को प्रेरित कर रही है। इसके कारण ग्राहक अधिक लाभ तथा पैसे के बेहतर मूल्य की अपेक्षा करेंगे एवं विश्व की नवीनतम और सर्वोत्तम सुविधाओं का उपयोग और उपभोग बिना कोई मूल्य या अतिरिक्त मूल्य चुकाये प्राप्त करना चाहेंगे। ऐसा संभव नहीं होने पर वे स्थानीय तथा भारतीय दामों पर ही वैशिक स्तर की सुविधा / उत्पाद प्राप्त करना चाहेंगे। इस परिपेक्ष्य में बैंकों को स्वयं को प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने के लिए पहले से कही अधिक प्रयास करना होगा और बेहतर सेवा / उत्पादक प्रदान करने होंगे।

तेजी से होते इस पर्वितन से यह तय है कि अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकने वाले ग्राहक अपनी आवश्यकता और अपेक्षा के अनुरूप बैंक की सेवा का आकलन अथवा तुलनात्मक आकलन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों की प्राथमिकताएं शहर के नौकरीपेशा ग्राहकों से भिन्न होगी। उसी प्रकार, बैंक परिसर में आने वाले ग्राहक तथा घर बैठके बैंकिंग लेनदेन करने वाले ग्राहकों की स्थिति भी अलग होगी। एक लघुव्यसायी और कॉरपोरेट

से 1948 के बीच 1,101 तथा सन 1951 से 1992 के बीच 55 निजी क्षेत्र के बैंक असफल होकर बोरिया बिस्तर बौद्धकर चले गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक न सिर्फ सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वित करते हैं, अपितु देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं जनता को प्रदान कर रहे हैं। आज 90 वाणिज्यिक बैंकों की देशभर में लगभग 1,28,000 (30 जून 2015 को 1,27,343) से भी अधिक शाखाएँ कार्यरत हैं।

ग्राहक संतुष्टि
बैंक ग्राहकों के लिए ही है और ग्राहकों पर ही टिका हुआ है।

बढ़ती भगीदारी य पुरुषों के नौकरी या व्यवसाय के कारण घर में अनुपलब्धता की स्थिति में बैंकों में महिला ग्राहकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इन सारी आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेवा को ग्राहकों को सुलभ करवाना होगा।

ग्राहक / जनता का बैंक में विश्वास

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० जे.एम.
कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द
जेनरल थोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
इंटेरेस्ट एंड मनी' में यह स्पष्ट
किया है कि लोग मुद्रा को नकद
अथवा तरल रूप में रखना क्यों
पसंद करते हैं। उनके अनुसार
इसके तीन उद्देश्य हैं— 1.
लेनदेन की प्रवृत्ति, 2. आकस्मिक
घटनाओं की प्रवृत्ति, तथा 3.
सद्टेबाजी की प्रवृत्ति। इन
उद्देश्यों की पूर्ति बैंक द्वारा ही
संभव है। सुरक्षा की दृष्टि से भी
बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं।
भारत में विदेशी बैंक तथा निजी
क्षेत्र के नए बैंक प्रायः वर्ग विशेष
अथवा उच्च मूल्य वाले ग्राहकों
की सेवा में विश्वास करते हैं,
जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सीमित
अधःसंरचनाओं पर आश्रित होते
हुए सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के
साथ समाज के सभी वर्गों के बीच
व्यापार करते हैं। फिर भी बैंकिंग
व्यवसाय का लगभग 75: भाग
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही संपन्न
किया जाता है। सच तो यह है कि
लघु जमाकर्ताओं और गरीबों को
निजी क्षेत्र के बैंकों में आस्था भी
नहीं है। ज्ञातव्य है कि सन् 1913

से 1948 के बीच 1,101 तथा सन् 1951 से 1992 के बीच 55 निजी क्षेत्र के बैंक असफल होकर बोरिया बिस्तर बॉधकर चले गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक न सिर्फ सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वित करते हैं, अपितु देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं जनता को प्रदान कर रहे हैं। आज 90 वाणिज्यिक बैंकों की देशभर में लगभग 1,28,000 (30 जून 2015 को 1,27,343) से भी अधिक शाखाएँ कार्यरत हैं।

ग्राहक संतुष्टि

बैंक ग्राहकों के लिए ही है
और ग्राहकों पर ही टिका हुआ है।



ग्राहकों के बिना बैंक का अस्तित्व संभव नहीं है, यह एक निर्विवाद सत्य है। बैंकिंग व्यापार में ग्राहक ही साधन और साध्य दोनों है। ग्राहक संबंधित ज्ञान एक अच्छी ग्राहक सेवा रणनीति की प्रथम कड़ी है। इसके साथ ही बैंक आज क्रेता बाजार में नहीं, बल्कि विक्रेता बाजार में खड़े हैं। अतः ग्राहक उसी वस्तु को खरीदेगा जो अच्छी हो और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उसकी जेब के अनुरूप हो। ऐसी स्थिति में भारत में निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों, निजी क्षेत्र के नए बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक समूह, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा विदेशी बैंकों के बीच आपस में होड़ मच्ची है। सभी एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रतिस्पर्धा में शामिल है। जो जीता वही सिकन्दर। पर इस जल्दबाजी में गलत निर्णय/चयन (ग्राहक संबंधित) आत्मघाती भी हो सकता है। बैंकों द्वारा नए ग्राहकों को लुभाने तथा पुराने ग्राहकों को बनाये रखने की रणनीति में ग्राहक की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। ग्राहकों की अपेक्षाएं तथा बैंकों में प्राप्त सेवा (वास्तविक) के बीच न्यूनतम दूरी ग्राहक संतुष्टि की ओर इंगित करता है, जबकि इन दोनों के बीच बढ़ती दूरी ग्राहक संतुष्टि में कमी का। इसे इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है—

ग्राहक संतुष्टि का स्तर :
ग्राहक अपेक्षा – वास्तविक बैंकों
के उत्पादों तथा सेवाओं से ग्राहक
को प्राप्त विशुद्ध लाभ जितना
अधिक होगा ग्राहक संतुष्टि
उतनी ही अधिक होगी, जबकि
ग्राहक की उच्च अपेक्षाओं के
अनुरूप विशुद्ध लाभ का न होना

विना पगड़ गा राकरता जूरा रह
जाएगी। जटिल कार्यों के शीघ्र
एवं त्रुटिहीन निष्पादन हेतु
नवीनतम तकनीक की भी
आवश्यकता है। विगत वर्षों में
भारतीय बैंकों ने तकनीकी पर
काफी खर्च किया है और विभिन्न
सुविधा से युक्त ए.टी.एम., कैश-
डिजाजिट मशीन, इंटरनेट

बैंकिंग, गोबाइल बैंकिंग, विभिन्न ऐप, पासबुक अद्यतन मशीन (स्वयं), इनटच शाखाओं इत्यादि के द्वारा बैंक के बाहर और अंदर ग्राहकों को स्वयं उपयोग करने वास्तु योग्यता प्रदान कर ग्राहक सेवा को बेहतर बनाया है और ग्राहक सशक्तिकरण भी किया है। इससे 24/7 बैंकिंग घर-घर पहुँचा है। फिर भी बैंकिंग सफलता के लिए तकनीकी में सदैव निवेश करना होगा। इस प्रकार बैंकिंग उद्योग की ग्राहक सेवा तथा लाभ, मानव पूँजी तथा तकनीक-दो पहियों पर टिकी हुई है।

ग्राहक संतष्टि

बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा में बैंकों को अपी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने हेतु ऐसी प्रणाली अपनानी होगी जो ग्राहकों को उनका मूल्य और सम्मान प्रदान कर सके। बैंक प्रबंधकों को उत्पाद/सेवा तथा ग्राहक दोनों का सापेक्षिक लाभ समझना होगा। उन्हें मौद्रिक लागत, समय लागत, ऊर्जा लागत तथा मनोवैज्ञानिक लागत—इन चारों को न्यूनतम रखना होगा ताकि ग्राहक संतुष्टि प्रदान की जा सके। मौद्रिक लागत से है, जिसे ग्राहक को भुनाना होता। समय—लागत का अर्थ ग्राहक के द्वारा बैंक में उत्पाद/सेवा की प्राप्ति के लिए बैंक में व्यतीत समय से है। ऊर्जा लागत ग्राहक को बैंक उत्पाद के लिए ऊर्जा की तीव्रता तथा ऊर्जा की हानि है, जबकि मनोवैज्ञानिक लागत वास्तविक तथा अकारण दोनों ही है। ऑकड़े बताते हैं कि घरेलू बचत का लगभग एक तिहाई बैंकों में ही जमा होता है। घरेलू बचत घर के सारे खर्चों के बाद बचत की राशि है। अतः इसमें प्रति व्यक्ति राशि भले ही कम होगी, पर ग्राहकों की संख्या अधिक होगी। ऐसे ग्राहक बैंक में प्रायः स्वयं आएंगे, अतएव उनकी संतुष्टि बाजार में भी बैंक की छवि का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएंगी। ग्राहक संतुष्टि के लिए बैंकों में ग्राहकों को उचित मूल्य पर सम्मान, संरक्षित एवं पर्याप्त सेवा मिल सके, यह आवश्यक है। ग्राहक भी हाड़—मॉस से बने जीव होते हैं, जिनमें भावना तथा

(शेष पृष्ठ 6 पर)

(पृष्ठ 5 का शेष)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्राहक सेवा

अहसास होता है। अतः उन्हें मानवोचित व्यवहार, सम्मान तथा सुविधाएं चाहिए।

बेहतर ग्राहक सेवा/ग्राहक संतुष्टि के लिए ग्राहकों के बीच सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा उनसे प्राप्त अनुभवों तथा ऑकड़ों के आधार पर कमी को दूर किया जाना चाहिए। इस संबंध में बैंक कर्मचारियों के बीच भी सर्वेक्षण कराकर उनसे प्राप्त अनुभवों/आंकड़ों के आधार पर ग्राहक सेवा बेहतर किया जा सकता है। बैंकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बैंक सेवा, बैंक उत्पाद तथा बैंक कर्मियों – तीनों का लक्ष्य ग्राहक लाभ ही हो।

ग्राहक संतुष्टि के अन्य पहलू

ग्राहक किसी उत्पाद को नहीं बल्कि अपनी इच्छा की पूर्ति को खरीदता है। इस प्रकार ग्राहक द्वारा किसी सामान अथवा सेवा को अपनाया जाना भी ग्राहक संतुष्टि का धोतक है। यदि ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा को अस्वीकृत कर देता है तो इसे नकारात्मक न मानकर गुणवत्ता

तथा ग्राहक सेवा हेतु मूल्यांकन तथा पुनर्विचार हेतु अवसर के रूप में अपनाया जाना चाहिए ताकि ग्राहक की अपेक्षियों तथा चुनौतियों को पूरा किया जा सके। दोषमुक्त या त्रुटिहीन सेवा ही ग्राहक संतुष्टि के लिए अपेक्षित है। बेहतर ग्राहक सेवा तो ग्राहक परिवेदना तथा शिकायत को भी दूर करने में मदद करती है।

बाजार में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु बाजार में हिस्सेदारी तथा जनता के दिलों में हिस्सेदारी, दोनों ही क्षेत्रों में अग्रणी होना आवश्यक है। जन छवि को बेहतर तथा सक्षम बनाने के लिए जन संपर्क की अहम भूमिका है। टाटा समूह जैसी कंपनी न सिर्फ अपने उत्पादों बल्कि समाज में अपने योगदान के कारण अपनी जन छवि से भी जानी जाती है और लोगों का विश्वास पाती है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ सरकार सामाजिक क्षेत्र में सीमित खर्च करती है, बैंक सामाजिक उत्थान तथा विकास का यथासंभव

संबंध विपणन (रिलेशनशिप मार्केटिंग) के माध्यम से दीर्घावधि तक गहरा रिश्ता कायम किया जा सकता है। वास्तव में उत्कृष्ट सेवा ग्राहक के प्रति विचार तथा प्रतिबद्धता की संस्कृति का परिचायक है। यह सब ग्राहकों के मन में यह विश्वास पैदा करेगी कि बैंक और ग्राहक 'एक दूजे के लिए' हैं। अतएव सारी परिस्थितियों एवं पहलुओं पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि ग्राहक ही लाभ है और ग्राहक सेवा के लिए निमित्त और समर्पित आधुनिकतम तकनीक एवं बैंक कर्मी इसके सहायक तथा पूरक हैं।

नरवाई जलाने की परम्परा

रवी सीजन में गोहू बहुतायत बोया जाता है लेकिन मजदूर समस्या, समय की कमी एवं सुगमत के कारण प्रदेश में हार्वेस्टर का प्रचलन बढ़ा है। हार्वेस्टर से कटाई होने पर फसल अवशेष बड़ी मात्रा में



खेत में शेष बचते हैं। इन बचे अवशेषों को नरवाई कहते हैं।

कृषक सुविधा के तहत खेतों में बचे अवशेषों नरवाई में आग लगाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता जलधरण क्षमता एवं जैव अंश नष्ट हो जाते हैं।

प्रचलित आधुनिक यंत्र जैसे स्ट्रारीपर, रीपर कमबाईडर अपाये एवं स्ट्रारीपर, रीपर कमबाईडर से फसलों की कटाई कर खेतों में बचे फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर कम्पोस्ट खाद के रूप में उपयोग करते हुए नरवाई जलाने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।

(पृष्ठ 2 का शेष)

सहकारिता : जानने योग्य बातें

सभा की सूचना संस्था के सदस्यों, सहायक/उप पंजीयक, प्रत्येक सदस्य को कम से कम 14 दिवस पूर्व साधारण डाक द्वारा भेजी जायेगी।

सूचना, सोसायटी के क्षेत्र में परिचालित अधिकतम दो स्थानीय हिन्दी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।

सहायक/उप पंजीयक स्वयं उपस्थित हो सकते हैं, अथवा किसी अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत कर सकते हैं।

सहायक/उप पंजीयक अथवा इनके प्रतिनिधि को सूचना में विनिर्दिष्ट विषयों पर आमसभा को सम्बोधन करने का अधिकार है। लेकिन चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का सम्बोधन नहीं कर सकते हैं।

विहित कालावधि में समिलन नहीं बुलाने अथवा उपधारा एक के अनुपालन में व्यतिक्रम/चूक करने पर पदाधिकारी पद पर निर्वाचित होने या पद पर रहने के लिए 3 वर्ष के लिए निरहित घोषित हो सकेगा। यदि सोसाइटी का अधिकारी/कर्मचारी है तो रु. 5000/- की शारित अधिरोपित हो सकेगी।

सभा का कोरम (गणपूर्ति) :- कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 50 सदस्य होना चाहिए।

साधारण सभा की कार्यवाही

कार्यवाहियों का कार्यवृत्त

कार्यवाही पंजी में अंकित की जावेगी, जिसमें सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

साधारण सभा की कार्यवाही भेजना

साधारण/विशेष आम सभा के हस्ताक्षरित कार्यवृत्त समिलन की तारीख से 30 दिवस के भीतर सभी सदस्यों को डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजना अनिवार्य है। भेजने में व्यतिक्रम/चूक करने पर जिम्मेदार अधिकारी पर रु. 50,000/- की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

किसी भी सोसाइटी के प्रत्येक वार्षिक साधारण समिलन में संचालक मंडल सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेगी जिसमें संचालक मंडल सदस्यों के, उनके कुटुम्ब के सदस्यों के तथा निकट नातेदार के नाम पूर्ववर्ती वर्षों के दौसान बकाया उधारों या अग्रिमों, यदि कोई हों, के ब्यारे दर्शाये गये हों स्पष्टीकरण – उपधारा (7) के प्रयोजन के लिए, कुटुम्ब के सदस्यों के अन्तर्गत पत्नी, पति तथा आश्रित संतान होगी।

विशेष साधारण समिलन

संचालक मंडल, किसी भी समय, सोसाइटी का विशेष साधारण समिलन बुला सकेगी और वह रजिस्ट्रार के या सदस्यों की कुल संख्या 1/10 सदस्यों से लिखित अध्येता प्राप्त होने के पश्चात एक मास के भीतर ऐसा

समिलन बुलायेगी।

सोसायटी का निर्वाचन

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 में सहकारी सोसायटी के निर्वाचन के प्रावधान :-

सहकारी सोसायटी का निर्वाचन पंजीयक के स्थान पर निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा कराये जायेंगे।

निर्वाचन पांच वर्ष के कार्यकाल समाप्ति के पूर्व अनिवार्यतः करा लिये जायेंगे।

निर्वाचन हेतु आवेदन चार माह पूर्व दिया जाना है।

सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण

सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु पंजीयक के स्थान पर संस्था का दायित्व निर्धारित किया गया

है। पूर्व में अंकेक्षण आवंटन आदेश पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी किये जाते थे। वर्तमान प्रावधान में संस्थाओं को अंकेक्षण के चयन/नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। संस्थाओं द्वारा प्रथमतः अपने संचालक मण्डल में इस विकल्प का चयन करना है कि वह विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म से अंकेक्षण कराना चाहती है।

वार्षिक आमसभा में अंकेक्षण की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। संचालक मण्डल के लिए संस्था के पास कितनी सम्पत्ति है

और किस रूप में है, देयता कितनी है और किस रूप में है, व्यापार की प्रगति कैसी है, का पता चलता है। यदि संस्था की सम्पत्तियों की कीमत उसके देयता से अधिक है तो संस्था की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है यदि देयता सम्पत्तियों से अधिक है तो संस्था की आर्थिक स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण

सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु पंजीयक के स्थान पर संस्था का दायित्व निर्धारित किया गया

है। संस्थाओं द्वारा जारी किये जाते थे। वर्तमान प्रावधान में संस्थाओं को अंकेक्षण के चयन/नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। संस्थाओं द्वारा प्रथमतः अपने संचालक मण्डल में इस विकल्प का चयन करना है कि वह विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म से अंकेक्षण कराना चाहती है।

वार्षिक आमसभा में अंकेक्षण की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। संचालक मण्डल के लिए संस्था के पास कितनी सम्पत्ति है

और किस रूप में है, देयता कितनी है और किस रूप में है, व्यापार की प्रगति कैसी है, का पता चलता है। यदि संस्था की सम्पत्तियों की कीमत उसके देयता से अधिक है तो संस्था की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है यदि देयता सम्पत्तियों से अधिक है तो संस्था की आर्थिक स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है।


नवाचार

सहकारिता में नयी सोच और सहकारिता को रोजगारोन्मुखी बनाने की दृष्टि से इसे नये क्षेत्रो

सहकारी संरथाओं में गोदामों में व्यवरिथित भण्डारण

प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा अपने बहुउद्देशीय कार्यों के अन्तर्गत अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं। जिनमें रासायनिक खाद वितरण प्रमुख है। कृषकों को सही खाद उचित दानों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समितियों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार भण्डारण किया जाता है। इसी प्रकार समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी, बीज वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य सामग्री का भी इन संस्था द्वारा वितरण करने आवश्यकता उचित भण्डारण व्यवस्था है ताकि सामग्री सुरक्षित रहे एवं आपूर्ति सुनिश्चित बेहतर ढंग से कियान्वयन होना नितान्त आवश्यक है।

प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा अपने बहुउद्देशीय कार्यों के अन्तर्गत अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं। जिनमें रासायनिक खाद वितरण प्रमुख है। कृषकों को सही खाद उचित दानों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समितियों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार भण्डारण किया जाता है। इसी प्रकार समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी, बीज वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य सामग्री का भी इन संस्था द्वारा वितरण करने आवश्यकता उचित भण्डारण व्यवस्था है ताकि सामग्री सुरक्षित रहे एवं आपूर्ति सुनिश्चित बेहतर ढंग से कियान्वयन होना नितान्त आवश्यक है।



जाने वाली चादर आदि के आकार को ध्यान में रखते हुए स्टैक का आकार तय करना चाहिए और तदनुसार स्टैक रखवाने की योजना बनानी चाहिए। स्टैक के लिए रेखाएं खीचने में सफेद या काले पेन्ट का प्रयोग करना चाहिए। स्टैक का आकार 30x20 से अधिक नहीं होना चाहिए।

बिछावन का उपयोग गोदाम में अनाज की आवक से पहले ही उसके लिए सुरक्षित बिछावन की व्यवस्था की जानी चाहिए जो कि लकड़ी के केट्स, बांस की चटाई एवं पॉलिथीन चादरों के रूप में हो सकते हैं। स्टैक के नीचे ये बिछावन बिछा दी जाती है। ताकि फर्श से अनाज में नमी न आ पाये। बिछावन के तौर पर बांस की दो चटाईयों के बीच में दबाई गई पॉलिथीन चादर का भी प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के कारण लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक की केट्स का उपयोग किया जा सकता है। उचित भण्डारण के लिए पर्याप्त मात्रा में बिछावन का प्रबंध तथा कीट नियंत्रण के उपकरणों की व्यवस्था पहले से कर लेना आवश्यक है।

गोदाम की तैयारी:

खाद्यान्न की आवक से पहले गोदामघर में पक्षियों के आने जाने पर रोक—थाम खिड़कियों पर तार की जाली लगाकर कर देनी चाहिए। चूहों के बिलों को रेत, सीमेंट तथा कांच के टुकड़े से पूर देना चाहिए जिससे चूहों का नियंत्रण किया जा सके। चूहे अपने बिलों में अनाज जमा कर लेते हैं तथा उनमें मौजूद कीड़े बाद में नमी आने से अनाज में भी पहुँच सकते हैं। प्रधुमन के लिए कवर के रूप में उपयोग में लगाये

अनाज की आवक :

जहां तक संभव हो, नई ए श्रेणी के बोरों का उपयोग में लाना चाहिए यदि पुराने बोरों को प्रयोग किया जाना हो तो कीटनाशक रसायन से इका प्रधुमन/छिड़काव कर दिया जाना आवश्यक है। आवक के समय

टांके हो, की वरीयता दें। अच्छी किस्म के धान के बारों का सदैव लकड़ी के केट्स पर ही भण्डारण करें तथा इसकी उंचाई 12 बोरों से अधिक न जाने दें।

रखरखाव :

रखरखाव के दौरान हुक का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए तथा गिरे हुए अनाज को इकट्ठा करवाकर उसका उचित हिसाब रखवाना चाहिए। भण्डारण कियाविधि में किसी भी स्तर पर अर्थात् कृषक, व्यापारी अथवा उपभोक्ता के स्तर पर भण्डारण होने में रख रखाव मुख्य भाग है। अनाज का रखरखाव उसकी फ्लोएविलिटी पर निर्भर करता है जिसका संबंध अनाज के आकार, रूप तथा नमी की मात्रा से होता है। किए जाने वाले रख-रखाव में बोरों से रिसकर अनाज की बरबादी होती है। इसलिए रख-रखाव के दौरान हुकों के प्रयोग से सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे बोरों का प्रयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनके चारों कोनों पर कान जैसे आकृति हो ताकि कर्मचारी उसे मजबूती से पकड़कर रख-उठा सके।

भण्डारण :

भण्डारण के लिए गोदाम को पूर्ण व्यवस्थित किया जाना चाहिए। भण्डारण गृह में खुली हवा का आवागमन रहने से अनाज न केवल ठण्डा रहता है, बल्कि अनाज की विभिन्न कीट-प्रजातियों को भी बढ़ने से

रोकता है।

भण्डारित अनाज के स्टैक का नियमित निरीक्षण तथा विश्लेषण किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर स्टैक्स को हटवाने का कम निर्धारित करना चाहिए। सामान्य रूप से स्टैक 16 पर्टी की उंचाई तक होती है तथा इसमें एक टन अनाज भण्डारण के लिए 5 से 571/3 वर्गफीट स्थान की आवश्यकता होती है। 30 प्रतिशत स्थान निकलने के रास्तों के लिए छोड़ा जाये। नियमित अन्तराल पर कीट व मूँह की व्यवस्था के उपायों का प्रयोग करते रहना चाहिए। यदि स्टैक में से किस्तों में माल हटाया जाता है तो साथ लगे कार्ड पर निर्गमन की तिथि व हटाये गये बोरों की संख्या आदि का लेखा कर देना चाहिए।

परम्परागत भण्डारण पद्धतियों में सुधार करके कीट संक्रमण के सभी स्त्रोतों जैसे संक्रमित खाद्यान्न, बिखरा हुआ अनाज, पुराने बोरे बिछावन दरारें आदि की समाप्त करने के उपाय, आदि बातों की महत्ता से भी अवगत हैं। कम मात्रा में संक्रमण होते ही अर्थात् प्रति कि.का. नमूने में 2 जीवित कीड़ों के पाये जाते ही भण्डारण में प्रधुमन किया जाना चाहिए, ताकि वह मात्रा बढ़ने न पाये इस तथ्य को सुनिश्चित कर लिया जावे कि खाद्य मिलावट रोक अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

अर्थात् प्रति कि.का. खाद्यान्न के नमूने में 8 और संसाधित किये गये खाद्यान्न जैसे चावल और दाल में 4 से अधिक जीवित अथवा मूत कीड़े न हो। यदि ये सीमाएं पार हो रही हो तो अनाज की सफाई और प्रधुमन का कार्य तुरन्त किया जाना चाहिए। ऐसे स्थलों का पता लगाया जाना चाहिए जहां से शुष्क ताप पाउडरीकरण तथा फफूंदी संक्रमण की संभावनाएं हो सकती हो, तथा इस बात के लिए आवश्यक उपाय किये जाये कि खाद्यान्न की गुणवत्ता में और अधिक गिरावट न आने पायें।

मतदान केन्द्रों की वेबकास्टिंग/सीसीटीव्ही से होणी निगरानी

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.ए.ल. कान्ता राव ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 में 20 प्रतिशत मतदान केन्द्रों की वेबकास्टिंग/सीसीटीव्ही कैमरों से निगरानी की जायेगी। इसके लिये ई-निविदा के माध्यम से तीन एजेन्सी क्रमशः विमुक्ति सॉल्यूशन प्रा.लि. तथा इन्नोवेटिव व्यू एवं सांघवी इन्फोटेक प्रा.लि. का चयन कर कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 4 चरण में सम्पन्न होगा। प्रथम

चरण में 6 लोकसभा क्षेत्रों के 1354 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं 1354 मतदान केन्द्रों पर सीसीटीव्ही कैमरों के माध्यम से निगरानी की जायेगी। द्वितीय चरण में 7 लोकसभा क्षेत्रों में 1530 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं 1530 मतदान केन्द्रों पर सीसीटीव्ही, तृतीय चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों के 1821 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं 1821 मतदान केन्द्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जायेंगे। चौथे चरण में 8

लोकसभा क्षेत्रों के 1850 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं 1850 मतदान केन्द्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जायेंगे।

मतदान केन्द्रों के अतिरिक्त मतगणना के दिन प्रत्येक मतगणना कक्ष एवं परिसर की निगरानी भी सीसीटीव्ही से की जायेगी। कैमरों की रिकार्डिंग की लाइव मॉनिटरिंग की जायेगी। विधानसभा निर्वाचन 2018 में भी प्रदेश में चयनित मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीव्ही कैमरे लगाये गये थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर निर्वाचन संबंधी जानकारी उपलब्ध

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.ए.ल. कान्ता राव ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट <http://@ceomadhyapradesh-nic-in@> को लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये अपडेट कर दिया गया है। वेबसाइट पर आम नागरिकों की सुविधा हेतु निर्वाचन संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें विगत वर्षों में सम्पन्न विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा चुनावों, वर्षावार निर्वाचन नामावली में दर्ज मतदाताओं, वर्षावार मतदान केन्द्रों, प्रदेश में निर्वाचनों से संबंधित चुनावी इतिहास की विस्तृत जानकारी शामिल है।

इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण म.प्र. में चुनाव आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों/ ढाँचे की जिलेवार जानकारी एवं उनके दूरभाष क्रमांक / मोबाइल नम्बर, राजनैतिक दलों, ईक्वाइरी/परिपत्र से संबंधित दिशा निर्देश, निर्वाचन संबंधी सभी आदेश/परिपत्र, स्वीप गतिविधियाँ, मुख्य निर्वाचन कार्यालय से संबंधित प्रशासनिक, राज्य-स्तरीय सम्पर्क केन्द्र, जिला सम्पर्क केन्द्र, अपने बीएलओ को जानने के लिये लिंक, विभिन्न गतिविधियों का सार/संग्रह, मतदाता सूची, लोकसभा आमचुनाव-2019 से संबंधित आवश्यक विवरण, आदि की जानकारी दी गयी है।

जुताई उपकरण (खेत तैयार करने वाले उपकरण)

नवीन उन्नत कृषि यन्त्र



एकिसयल फ्लो पैडी थ्रेशर

कृषकों के लिये धान की गहाई हमेशा से एक प्रमुख समस्या रही है। प्रचलित थ्रेशरों से धान की गहाई नहीं कर जा सकती है। धान का रकबा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरूप कृषकों द्वारा विशेष किरम के थ्रेशर की मांग की गई। इसको ध्यान में रखते हुए फ्रण्ट लाइन डिमांस्ट्रेशन की योजना के अंतर्गत एकिसयल फ्लो पैडी थ्रेशर को प्रचलित किया गया। इसके उपयोग से पैरा नहीं टूटता है जो पशु आहार के रूप में आसानी से उपयोग किया जा सकता है।



सनफ्लावर थ्रेशर

सूरजमुखी की खेती में गहाई एक मुख्य समस्या है क्योंकि प्रचलित थ्रेशरों से दाना टूटता है एवं अधिक नमी के कारण थ्रेशर बार-बार चोक होता है इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सनफ्लावर थ्रेशर का फ्रण्ट लाइन डिमांस्ट्रेशन आयोजित की गहाई की गई। इस थ्रेशर से एक ही बार में आसानी से गहाई की जा सकती है। इसमें दानों भी बहुत कम टूटते हैं।

स्ट्रा रीपर

वर्तमान समय में कम्वाइन हार्वेस्टर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। कम्वाइन हार्वेस्टर द्वारा फसल की कटाई का काफी बड़ा हिस्सा डंठल के रूप में छोड़ दिया जाता है जिसके कारण कृषकों को भूसे का नुकसान होता है इसके अतिरिक्त उन्हे अलग से सफाई करनी पड़ती है। स्ट्रा रीपर खेत में बचे डंठलों को काटकर भूसा बनाता है।



रीपर

धान एवं गेहूँ की फसल की कटाई के समय मजदूरों की समस्या को देखते हुए रीपर के उपयोग को बढ़ावा दिया गया जिसके परिणाम अत्यंत उत्साह जनक पाए गए। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस वर्ष कृषकों ने 19 रीपर अनुदान पर क्रय किए हैं।



वन पास मिनी राइस मिल

इस मिल की मुख्य विशेषता यह है, कि इसमें एक ही बार में धान की डिहस्किंग एवं पॉलिशिंग होती है तथा चावल भी कम टूटता है एवं ऊर्जा की खपत भी कम होती है। इस मिल को आसानी से ट्रेक्टर की द्राली पर स्थापित कर एक गांव से दूसरे गांव ले जाया जा सकता है। इसके परिणाम अत्यंत उत्साह जनक पाए गए हैं, जिसके कारण कृषकों में इसकी मांग बढ़ रही है।



सीड ग्रेडर

आज भी अधिकांश कृषक स्वयं का बीज उपयोग करते हैं जिसकी समुचित ग्रेडिंग नहीं की जाती है। मिश्रित आकार के बीजों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः उपयुक्त बीज हेतु सीड ग्रेडर से उपज की ग्रेडिंग कर अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए फ्रण्ट लाइन डिमांस्ट्रेशन आयोजित किए गए। कृषकों ने भी इसे अत्यंत उपयोगी एवं लाभप्रद बताया।